

कार्यालय

सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राथिपा/परिषद/सम्बद्धता/2021/3637

लखनऊ, दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय सचिव:

अखिल भारतीय तमनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (कार्गोसी फाउन्डेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली) द्वारा शैक्षिक वर्ष 2021-22 हेतु डिग्रीनाम सार्वजनिक-वीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 11/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति को बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व ही संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता पूर्ण सहित अन्य सतों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति को बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 1025-ROOTS COLLEGE OF PHARMACY GRAM MAHAGAI, PARGANA DARANAGAR, NOORPUR ROAD, BIJNOR-246701

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1992 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, सेमेस्टर विनियमवली 2019 तथा अन्य विहित विगमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा बालक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क वॉन वर्षीय इकी० पाठ्यक्रमों हेतु रु०-20,000/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के अलावा में समय-समय पर शिक्षण द्वारा निर्गत किये जाने वाले साक्षनादेश उभारों को, और चतुर्मुख कार्यावाही किया जाने आवश्यक होगा। उचित निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जात है, तो फीस की न्यूनतम तरे लागू होंगी।
- ✓ संस्था को द्वारा 1992 प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवली 2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समस्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित शर्तों की ही प्रवेश दिया जायेगा। शर्तों के अतिरिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत साक्षनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

**कार्यालय,
अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिम/परिषद सम्बद्धता/ 2020 / 1971

लखनऊ दिनांक 15-9-2020

-कार्यालय ज्ञाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेली कन्वेंटियल सीधे वृत्तिय, नई दिल्ली द्वारा सैक्रिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा तकनीकी विस्तार संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आने वाले वर्ष तक सभी को सम्बद्धता/पूर्व से सार्वजनिक संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रस्ताव वृत्त सीधे अन्य मांग पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक में 14-8-20 में डिप्लोमा इन फार्मेली पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली वृत्त से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प तथा वृत्त सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

" निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मेली पाठ्यक्रम संयोजित करने वाली संस्थाएँ, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीसीआईए द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईए द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अखिल पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रस्ताव के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईए द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आगत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उक्तोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नोक्ति एतों के अर्धीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश प्रस्ताव हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईए द्वारा एवं अनुमोदन प्रवेश प्रस्ताव	पीसीआईए/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदन प्रवेश प्रस्ताव
1	एन.सी.टी.ए. लखनऊ, उत्तर प्रदेश	डिप्लोमा इन फार्मेली	हां	हां

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था सम्बद्धता/पूर्व से सम्बद्धता प्राप्त समिति को सभी शर्तों का पूर्ण पालन करना।
- ✓ संस्था द्वारा अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ प्राथमिक शिक्षा परिषद निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान करने का आश्वासन देना। अर्थात् सत्र 2020-21 हेतु अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रदान किया गया अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अखिल पाठ्यक्रम/प्रवेश प्रस्ताव के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईए द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राथम/परिषद/संख्या/2019/1133

लखनऊ दिनांक 10-5-2019

:- कार्यालय द्वाारा -

अधिन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दश दशक वर्ष 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2019-20 विचार विमर्श किया जाने हेतु दिनांक 25-5-2019 को अन्तर्गत संख्या 2019-20 हेतु अधिन तह संख्याओं को संख्याओं में संशोधन के माध्यम से संशोधन किया गया।

उक्त के अन्तर्गत में संख्या संशोधन को संशोधन के माध्यम से संशोधन किया गया।

ऐसी तदर्थपत्र डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाएं जिन्हें सन 2019-20 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुक्रम सन 2019-20 हेतु परिषद से संख्या प्रदान किये जाने हेतु संशुद्धि प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन प्राप्त हो जाने के अन्तर्गत प्रवेश वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आयोजित कर ली जावे जिससे तदर्थपत्र संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कालनिर्धारित में सम्मिलित करवाया जा सके।"

अतः निम्नानुसार तदर्थपत्र संस्था का परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संशुद्धि तथा संख्या संशोधन द्वारा दिनांक 10-5-2019 के अन्तर्गत प्रवेश वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आयोजित कर ली जावे जिससे तदर्थपत्र संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कालनिर्धारित में सम्मिलित करवाया जा सके।

क्र. सं.	संख्या सं.	संस्था का नाम	पठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सन 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश संख्या	परिषद द्वारा सन 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	1038	एलडा कॉलेज ऑफ फार्मसी आई-आईआई गुप्तपुर रोड, बिजनौर	डिप्लोमा इन फार्मसी	20	50

परिष्कार हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करनी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2019-20 के अन्तर्गत प्रवेश वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आयोजित कर ली जावे जिससे तदर्थपत्र संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कालनिर्धारित में सम्मिलित करवाया जा सके।